terms of the foreign collaborations agreement approved by Government and Government will be losing 12 per cent excise duty on Glass?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Remittances of profits and dividends by foreign companies on their investments in India are allowed to be remitted freely after payment of Indian taxes. Payment on account of royalties and technical know-how fees by Indian companies to foreign companies in respect of approved projects are also freely allowed to be remitted abroad subject to deduction of taxes to the extent applicable. M/s. Hindustan Pilkington Glass Works Ltd., Calcutta did not declare any dividends for their financial years ending October 1962 to October 1967. During 1968 the Indian company declared an interim dividend of 5% on a total issued equity capital of the company of Rs. 180 lakhs of which the non-resident holding company holds 56.12%. Information regarding the actual remittances is not readily available. It will be collected and laid on the Table of the House.

(c) Manufacture of toughened glass does not need Government's approval under the Industries (R and D) Act, 1951. Thus M/s. Hindustan Pilkington Glass Works Ltd., Calcutta do not require Government's approval for the manufacture of toughened glass so long as no fresh foreign collaboration is involved for its manufacture and no import of capital equipment is involved. It is understood that Indian company had not so far started the production of toughened glass. 'Toughened glass' will fall within the category of "Sheet glass" and will therefore attract 12% excise duty leviable on "Sheet glass".

तिब्बिया कालेज

9185. **श्री अवधेश चन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बिया कालेज को प्रति वर्ष कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है ;

(ख) क्या तिब्बिया कालेज बोर्ड सरकार के अधीन है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार उस पर क्या नियंत्रण रखती है ;

(घ) क्या तिब्बिया कालेज के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने उस कालेज के बोर्ड के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप लगाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क)

1966-67	–	2,85,000.00 रुपये
1967-68	–	3,18,000.00 रुपये
1968-69	–	3,22,550.00 रुपये

(ख) जी नहीं । यह तिब्बिया कालेज अधिनियम, 1952, के अधीन गठित एक स्वशासी बोर्ड के मातहत है । बोर्ड के सदस्यों का मनोनयन दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा प्रति वर्ष के आधार पर किया जाता है ।

(ग) इस बोर्ड और इससे सम्बद्ध संस्थानों के बजट प्राक्कलन प्रति वर्ष दिल्ली प्रशासन द्वारा मंजूर किये जाते हैं और उसी प्रशासन द्वारा कतिपय खर्च की मंजूरी भी दी जाती है । बोर्ड के लेखे चार्टर्ड लेखापाल द्वारा तैयार किये जाते हैं और हर वर्ष दिल्ली प्रशासन के स्थानीय निधि लेखा के परीक्षक तथा महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है । उप-राज्यपाल बोर्ड को निदेश दे सकते हैं ।

(घ) और (ङ). निगम कर्मचारियों की भाँति उन्हें मकान किराया भत्ते तथा महंगाई भत्ते के भुगतान न करने के विषय में कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए । कालेज का स्टाफ विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, रीडरों, लेक्चरारों, आदि के समान ही वेतन-मान देने की मांग कर रहा है । 1967 के बैच के छात्र शुद्ध पाठ्यक्रम के स्थान पर मिश्रित पाठ्यक्रम पुनः चालू करने की मांग कर रहे हैं । मिश्रित पाठ्यक्रम के छात्र संक्षिप्त पाठ्यक्रम की मांग कर रहे हैं जिससे वे एलोपैथी की प्रैक्टिश कर सकें । इन मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

तिब्बिया कालेज दिल्ली

9186. **श्री अवधेश चन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवारि नियोजन और निर्माण,

आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से तिब्बिया कालेज में कोई नियमित रूप से कोई प्रिंसिपल नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उस पद को कब तक भरा जायेगा तथा उसके अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कालेज अस्पताल में कोई स्थाई महिला डाक्टर नहीं है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कालेज अस्पताल ही एक ऐसा अस्पताल है जिसमें करोलबाग क्षेत्र में, जहां 40 लाख की आबादी है, रोगियों को दाखिल करने का विभाग है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इस अस्पताल को नियंत्रण में लेने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। यह पद तो गत एक वर्ष से ही रिक्त हुआ है।

(ख) इस पद को दो बार विज्ञापित करना पड़ा जिससे कोई योग्य उम्मीदवार मिल जाए। इस पर शीघ्र ही नियुक्ति किए जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता। इस अस्पताल को अपने हाथ में लेने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

Gujranwala House Building Cooperative Society, Ltd., Delhi

9187. SHRI KAMESHWAR SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 810 on the 31st March, 1969 and state :

(a) the basis for calculating the price of Rs. 32/- per square yard by the society ;

(b) how, without development of the land being completed, 260 plots of 167 square yards have already been allotted as stated in reply to Unstarred Questions Nos. 4548 and 4559 on the 16th December, 1968 ; and

(c) how and why the last payment instalment was called by the Society and why they fixed the penalty for late payment when development is not yet complete and there is delay in the allotment of plots ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING ; AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) The break up of the provisional price of Rs. 32/- per square yard fixed by the Society is as under :

Price per square yard of the plotted area (this includes the cost of land, zonal road contribution etc.)	Rs. 18/-
Estimated development cost per square yard.	Rs. 14/-
	Rs. 32/-

(b) and (c). The required information is being collected from the Society and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Gujranwala House Building Cooperative Society

9188. SHRI KAMESHWAR SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that land which has been allotted to the Gujranwala House Building Co-operative Society was purchased by the Society in the general auction at the cost not exceeding Rs. 5/- per square yard ;

(b) if not, the price paid by the Society for this land in the auction ;

(c) whether it is also a fact that the premium charged by Government on this land, which has been allotted to the Society, will not exceed Rs. 5/- per square yard ;

(d) whether it is further a fact that development of land will not exceed Rs. 5/- per square yard taking into account the profit accrued to the Society from sale of fruits/wood/trees and interest on deposits since its inception ;

(e) how many times the accounts of the Society have been audited and what are the major heads under which profit or loss has been shown ; and

(f) whether any amount has also been